

यात्रियों ध्यान दें! बदल गया जनरल टिकट बुकगि का नयिम, जानें डटिल

वर्षिय सूची (Table of Contents):

- >> रेलवे का नया नयिम जनरल टिकट बुकगि में हुआ बड़ा बदलाव...
- >> डिजिटल सुरक्षा और पारदर्शति को बढ़ावा...
- >> आज से रेलवन ऐप पर फोटो आईडी अनविर्य...
- >> RailOne App में कैसे करें टिकट बुक?...
- >> यात्रा के दौरान असली पहचान पत्र रखना होगा जरूरी...
- >> पहचान पत्र न होने पर क्या होगी कार्रवाई?...
- >> आधार, पैन या वोटर आईडी जानें कौन से दस्तावेज होंगे मान्य...
- >> दस्तावेज चयन में सावधानियां...
- >> स्टेशन के टिकट काउंटर से टिकट लेने वालों पर क्या होगा असर?...
- >> ऑफलाइन और ऑनलाइन बुकगि का अंतर...
- >> स्क्रीनशॉट या व्हाट्सएप मेंसेज नहीं होगा मान्य, दखिनी होगी लाइव टिकट...
- >> स्क्रीनशॉट अमान्य होने के कारण...
- >> टीटीई चेकगि के दौरान कनि बातों का रखें खास ध्यान...
- >> चेकगि लसिट गाइडलाइंस...
- >> नष्कर्ष (Conclusion)...
- >> अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न...

Indian Railways Latest Update 2026: भारतीय रेलवे से दैनिक यात्रा करने वाले लाखों रेल यात्रियों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। रेलवे प्रशासन ने अनारक्षति (General) श्रेणी के रेल टिकट की डिजिटल बुकगि प्रक्रिया में बड़ा सुधार करते हुए नया सुरक्षा नयिम लागू कर दिया है।

15 जुलाई से प्रभावी हुए इस नए नयिम के तहत अब मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से अनारक्षति रेल टिकट बुक करने वाले यात्रियों के लिए फोटो पहचान पत्र की जानकारी देना अनविर्य कर दिया गया है। बनिा वैध पहचान पत्र के अब डिजिटल टिकट जनरेट करना संभव नहीं होगा।

यद आप नयिमति रूप से जनरल डिब्बे में यात्रा करते हैं या मोबाइल ऐप से टिकट बुक करने के अभ्यस्त हैं, तो इस नए नयिम की बारीकियों को समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। आइए जानते हैं इस बदलाव के सभी प्रमुख पहलू और यात्री सुरक्षा से जुड़ी जरूरी जानकारी।

रेलवे का नया नयिम: जनरल टिकट बुकगि में हुआ बड़ा बदलाव

भारतीय रेलवे ने टिकटों की कालाबजारी रोकने और फर्जी बुकिंग पर लगाम लगाने के उद्देश्य से अनारक्षित टिकट प्रणाली में डिजिटल सत्यापन को एकीकृत किया है। आज से लागू हुआ यह नियम मुख्य रूप से मोबाइल टिकटिंग उपयोगकर्ताओं पर केंद्रित है।

रेलवे अधिकारियों के अनुसार, डिजिटल माध्यम से टिकट बुक करते समय पारदर्शिता बनाए रखने और यात्रा करने वाले व्यक्ति की सही पहचान सुनिश्चित करने के लिए यह ठोस कदम उठाया गया है। इससे बना टिकट या अवैध तरीके से यात्रा करने वाले तत्वों पर शक्ति का कसा जा सकेगा।

डिजिटल सुरक्षा और पारदर्शिता को बढ़ावा

रेलवे बोर्ड का मुख्य उद्देश्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर टिकटों के दुरुपयोग को शून्य करना है। पूर्व में कई लोग स्क्रीनशॉट या एक ही टिकट की कई प्रतियों के जरिए यात्रा करने का प्रयास करते थे, जिससे अब तकनीक की मदद से पूरी तरह बंद कर दिया गया है।

>> फर्जीवाड़ा नियंत्रण: एक ही टिकट को एकाधिक यात्रियों द्वारा इस्तेमाल करने पर पूर्ण प्रतिबंध।

>> सत्यापन प्रक्रिया: ऑनलाइन बुकिंग के समय ही यात्री का विवरण दर्ज होना।

>> तकनीकी एकीकरण: ऐप में लाइव वेरिफिकेशन की नई सुविधा शामिल की गई है।

आज से रेलवेन ऐप पर फोटो आईडी अनिवार्य

यदि आप RailOne App या आधिकारिक ऑनलाइन बुकिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग करके जनरल टिकट (Unreserved Ticket) बुक कर रहे हैं, तो ऐप आपसे तुरंत एक वैध फोटो आईडी चुनने और उसका नंबर दर्ज करने का विकल्प मांगेगा।

यह नया अपडेट आज 15 जुलाई से सभी एंड्रॉइड और आईओएस प्लेटफॉर्म पर रोलआउट कर दिया गया है। ऐप यूजर को टिकट कंफर्म करने से पहले अपनी सरकारी पहचान संख्या दर्ज करनी होगी, जिसके बिना पेमेंट गेटवे की अनुमति नहीं मिलेगी।

RailOne App में कैसे करें टिकट बुक?

ऑनलाइन बुकिंग की प्रक्रिया को बेहद सरल रखा गया है ताकि आम यात्रियों को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े:

>> Step 1: RailOne App खोलें और अपनी लोकेशन दर्ज करके रूट का चयन करें।

>> Step 2: जनरल या अनारक्षित ट्रेन टिकट का विकल्प चुनें।

>> Step 3: अपनी ड्राप-डाउन सूची से मान्य Photo ID प्रकार चुनें और नंबर दर्ज करें।

>> Step 4: भुगतान संपन्न करें और लाइव डिजिटल टिकट ऐप में प्राप्त करें।

अन्य सरकारी और जन कल्याणकारी अपडेट्स जानने के लिए पढ़ें: बड़ी खबर! PM किसान की कसित अब घर पर मिलेगी, बैंक जाने की जरूरत नहीं!

यात्रा के दौरान असली पहचान पत्र रखना होगा जरूरी

टिकट बुक करने के समय आप जिस फोटो पहचान पत्र की जानकारी RailOne ऐप में दर्ज करेंगे, यात्रा के दौरान वही Original Identity Card आपके पास शारीरिक रूप से मौजूद होना अनिवार्य है। फोटोकॉपी या डिजिटल कॉपी को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी।

यदि चेक गिस्टाफ यात्रा के समय आपसे पहचान पत्र मांगता है, तो आपको वही पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसका उल्लेख आपने बुक करते समय किया था। विवरण में अंतर पाए जाने पर टिकट को अमान्य माना जा सकता है।

पहचान पत्र न होने पर क्या होगी कार्रवाई?

यदि आपके पास ऐप में दर्शाया गया मूल पहचान पत्र मौजूद नहीं है, तो रेलवे नियमों के तहत आपको Without Ticket (बिना टिकट) यात्री माना जाएगा और नियमानुसार जुर्माना वसूला जाएगा।

आधार, पैन या वोटर आईडी: जाने कौन से दस्तावेज होंगे मान्य

रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सभी प्रमुख सरकारी पहचान पत्रों को इस व्यवस्था के अंतर्गत स्वीकृत प्रदान की है। आप अपनी सुविधानुसार निम्नलिखित में से किसी भी दस्तावेज का विवरण दर्ज कर सकते हैं:

- >> आधार कार्ड (Aadhaar Card): बुक करने के दौरान विवरण दर्ज करने हेतु मान्य।
- >> वोटर आईडी कार्ड (Voter ID): चुनाव आयोग द्वारा जारी वैध पहचान पत्र।
- >> पैन कार्ड (PAN Card): आयकर विभाग द्वारा जारी स्थायी खाता संख्या कार्ड।
- >> ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License): परिवहन विभाग द्वारा जारी वैध ड्राइविंग लाइसेंस।
- >> अन्य पहचान पत्र: पासपोर्ट या किसी भी केंद्र राज्य सरकार द्वारा जारी फोटोयुक्त आधिकारिक कार्ड।

दस्तावेज चयन में सावधानियां

हमेशा उसी दस्तावेज का चयन करें जिससे आप यात्रा करते समय अपने साथ ले जाने में सहज हों। यात्रा के दिन दस्तावेज भूल जाने की स्थिति

में रेलवे चेकगि अमला रियायत प्रदान नहीं करेगा।

स्टेशन के टिकट काउंटर से टिकट लेने वालों पर क्या होगा असर?

अनेक यात्रियों के मन में यह संशय है कि क्या रेलवे स्टेशन के यूटीएस (UTS) काउंटर से ऑफलाइन टिकट खरीदने पर भी नियम बदल गए हैं? रेलवे ने इस संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया है।

स्टेशन पर बने टिकट काउंटर्स से भौतिक (Physical) टिकट खरीदने वाले यात्रियों के लिए कोई बदलाव नहीं किया गया है। वे पहले की तरह ही बिना आईडी दर्ज कराए सामान्य काउंटर से अपना जनरल टिकट खरीद सकते हैं।

ऑफलाइन और ऑनलाइन बुकिंग का अंतर

वैश्विक ट्रेड्स और देश-दुनिया की अन्य प्रमुख खबरों की जानकारी के लिए देखें: रूस तेल बेचता था लेकिन खुद ही तेल संकट में कैसे फंसा।

स्क्रीनशॉट या व्हाट्सएप मैसेज नहीं होगा मान्य, दिखानी होगी ल

नए रेलवे नियम 2026 के अंतर्गत सुरक्षा को अत्यधिक कड़ा कर दिया गया है। अब यात्री टिकट का स्क्रीनशॉट, पीडीएफ का प्रिंट या व्हाट्सएप के जरिए भेजी गई फोटो दिखाकर यात्रा नहीं कर सकेंगे।

टीटीई को चेकगि के दौरान केवल RailOne एप्लीकेशन के भीतर Live Ticket Verification List ही दिखानी होगी। ऐप में टिकट के साथ सुरक्षा वॉटरमार्क और गतिशील समय चलता रहता है जिससे वास्तविक टिकट की पुष्टि होती है।

स्क्रीनशॉट अमान्य होने के कारण

>> स्क्रीनशॉट के माध्यम से एक ही टिकट का एकाधिक उपयोग रोका जा सके।

>> लाइव जीपीएस व ऐप स्टेटस से यात्रा की प्रामाणिकता जांचना।

>> डिजिटल जालसाजी और एडिटिड इमेज द्वारा होने वाले भ्रष्टाचार को खत्म करना।

खेल एवं मनोरंजन से जुड़ी रोचक जानकारी के लिए यह भी पढ़ें: भारत vs ऑस्ट्रेलिया: सेमीफाइनल का टिकट, करो या मरो मुकाबला आज!

टीटीई चेकगि के दौरान कनि बातों का रखें खास ध्यान

ट्रेन में यात्रा करते समय किसी भी प्रकार की असुवधि, बहस या आर्थिक जुर्माने से बचने के लिए प्रत्येक यात्री को टीटीई चेकगि के समय नमिनलखिति बातों का अनविर्य रूप से पालन करना चाहएि:

चेकगि लसिट गाइडलाइंस

- >> लाइव टिकट खोलकर रखें:टीटीई के आने पर RailOne ऐप में एक्टवि टिकट ही प्रदर्शति करें।
- >> मूल आईडी साथ रखें:जो पहचान पत्र संख्या दर्ज की गई है, उसकी ओरजिनिल कॉपी नकालकर दरिवाएं।
- >> नेटवर्क समस्या से बचाव:टिकट बुक करने के पश्चात ऐप के ऑफलाइन माई टिकट्स सेक्शन में उसे पहले से लोड करके रखें।
- >> सटीक वविरण:बुकिंग के समय नाम और आयु का चयन बलिकुल सही करें।

नष्किर्ष (Conclusion)

भारतीय रेलवे द्वारा 15 जुलाई 2026 से लागू कयिा गया यह नया नयिम अनारक्षति यात्री वर्ग के लिए सुरक्षति, व्यवस्थति और पारदर्शी सफर की दशिा में एक अहम कदम है। मोबाइल ऐप RailOne से जनरल टिकट बुक करते समय फोटो आईडी लकि करने और यात्रा के दौरान असली पहचान पत्र पास रखने से फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी।

स्टेशन काउंटर से टिकट लेने वाले यात्रियों पर इसका असर नहीं पड़ेगा, लेकिन डिजिटल टिकट धारकों को लाइव टिकट और मूल दस्तावेज दरिखाना अनविर्य होगा। अपनी यात्रा को सुगम और तनावमुक्त बनाने के लिए हमेशा रेलवे के नवीनतम दशिा-नरिदेशों का पालन करें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

यह नया नयिम 15 जुलाई 2026 से पूरे देश में मोबाइल बुकिंग प्लेटफॉर्म पर प्रभावी हो चुका है।

नहीं, स्टेशन पर यूटीएस काउंटर से भौतिक रूप से टिकट खरीदने वाले यात्रियों के लिए नयिमों में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और केंद्र या राज्य सरकार द्वारा जारी कोई भी फोटो आईडी मान्य है।

बलिकुल नहीं, रेलवे ने स्क्रीनशॉट और व्हाट्सएप फोटो दरिखाकर यात्रा करने पर पूरी तरह प्रतबिध लगा दिया है। आपको लाइव टिकट दरिखाना होगा।

मूल पहचान पत्र न होने पर आपको बनिा टिकट माना जाएगा और टीटीई द्वारा नयिमानुसार जुर्माना लगाया जाएगा।

हाँ, मुख्य यात्री अपने फोटो पहचान पत्र का वविरण देकर समूह या परिवार का अनारक्षति टिकट बुक कर सकता है, बशर्ते वह खुद साथ यात्रा कर रहा हो।

RailOne ऐप के My Tickets सेक्शन में बुक कयिा गया टिकट बनिा एक्टवि इंटरनेट के भी लाइव फॉर्मेट में प्रदर्शति होता है।

इसका मुख्य उद्देश्य डिजिटल टिकटों का दुरुपयोग रोकना, कालाबाजारी खत्म करना और यात्रियों की वास्तवकि पहचान सुनश्चिति करना है।

आरक्षति श्रेणयिों (Sleeper, AC) में पहले से ही पहचान पत्र अनविर्य है। यह नया नयिम वशिष रूप से जनरल (Unreserved) टिकटों के लए लागू कयिा गया है।

नही, फोटोकॉपी स्वीकार नही की जाएगी। आपको केवल मूल (Original) पहचान पत्र ही प्रस्तुत करना होगा।